CNR No. UPME190002152025

न्यायालय – वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं02, मेरठ।

माध्यस्थ निष्पादन वाद सं० 29 सन 2025

श्रीमती पुष्पलता जैन प्रति यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लि० एवं अन्य

29.05.2026

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थना पत्र 22ग डिक्रीदार की तरफ से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका दाखिल करने के समय, निर्णीत ऋणी सं० 1 से डिक्री धारक को 58,45,422.51 रुपये की राशि देय है, जिसमें 17,70,517 रुपये मूलधन और 21 जुलाई, 2012 से 30 अप्रैल, 2025 तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 40,74,905.51 रुपये शामिल हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ ए एफ ओ संख्या 1243/2014 में दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को पारित आदेश के अनुपालन में, जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक, साउथ भोपा रोड, मुजफ्फरनगर में दिनांक 30 मई, 2014 को क्रमांक 372000DP00019738 वाली एक एफ डी आर जमा की गयी थी और अब इस माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, उक्त एफ डी आर की राशि, अर्थात् 34,54,049/– रुपये, जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के कार्यालय द्वारा दिनांक 27/04/2026 को खाता संख्या 696501700828 (आईसीआईसीआई बैंक) में स्थानांतरित कर दी गई है।

डिक्रीदार की जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2024 के आदेश द्वारा एफ ए एफ ओ संख्या 1243/2014 की अपील खारिज किए जाने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है और दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अवार्ड के निष्पादन के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है और दिनांक 20 जुलाई, 2012 का अवार्ड अब अंतिम और लागू करने योग्य है।

अग्रेतर यह भी कथन किया कि डिक्रीदार 76 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें कैंसर है, तथा कुछ महीने पहले उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। यह फैसला 2012 में

सुनाया गया था और 14 वर्षों से, निर्णीत ऋणी द्वारा लंबे समय तक चले और व्यर्थ कानूनी विवाद के कारण डिक्रीदार उक्त निर्णय का लाभ नहीं उठा पाए हैं।

दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अवार्ड के आंशिक निष्पादन में, न्यायालय के पास उपलब्ध 34,54,049/– रुपये की राशि डिक्रीदार को जारी की जाएगी, और शेष राशि की वसूली के लिए निष्पादन कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रखी जाएगी।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में डिक्रीदार के पक्ष अंकन 34,54,049/– रूपये उसके बचत खाता सख्या 1821000116864831 पंजाब नेशनल बैंक, कोर्ट रोड, मुजफफरनगर में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

उक्त कथन के समर्थन में डिक्रीदार की तरफ से श्रीमती पुष्पलता जैन का शपथ पत्र 23ग प्रस्तुत किया गया है तथा केन्सिल चैक प्रपत्र सं० 25ग2 प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का गहनता के साथ अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित हो रहा है कि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न विवाद का निस्तारण करते हुए दिनांक 20.07.2012 को पंचाट प्रपत्र सं० 7ग/1 लगायत 7ग/27 पारित करते हुए प्रश्नगत धनराशि आवेदक को दिलाये जाने हेतु यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेन्स कं० को निर्देशित किया गया।

उक्त पंचाट के विरूद्ध विपक्षी/निर्णीत ऋणी यूनाइटिड इंडया इंश्यारेन्स कं० की तरफ से धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत मध्यस्थ प्रार्थना पत्र सं० 1127/2012 यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेन्स कं० लि० प्रति हिमगिरी इण्डस्ट्रीज एवं अन्य प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र जनपद न्यायाधीश, मुजफफरनगर द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2014 के द्वारा निरस्त किया गया, जो पत्रावली के साथ प्रपत्र सं० 7ग/29 लगायत 7ग/33 के रूप में संलग्न है।

जनपद न्यायाधीश, मुजफफरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.01.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रथम अपील फार्मल आर्डर नं० 1243 सन 2014 यूनाइटिड इंडिया इंश्यारेन्स कं० लि० प्रति हिमगिरी इण्डस्ट्रीज एवं अन्य योजित किया गया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रपत्र सं० 7ग/36 दिनांकित 25.04.2014 पारित करते हुए अपीलार्थी यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेन्स कं० लि० को आदेशित किया गया कि वह डिक्रीधन सम्बद्ध न्यायालय के समक्ष 06 के अन्दर उक्त धनराशि को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निक्षिप्त किया जाये।

तत्पश्चात उक्त् अपील में माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार के उपस्थित नहीं होने की दशा में उक्त अपील प्रपत्र सं० 7ग/39 माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 05.07.2024 के द्वारा खण्डित कर दी गयी।

उल्लेखनीय है कि डिक्रीदार की तरफ से उपर्युक्त कथनों के सम्बन्ध में श्रीमती पुष्पलता जैन का शपथ पत्र प्रपत्र सं० 14ग2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश दिनांकित 05.07.2024 के विरूद्ध कोई मामला/प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है।

जनपद न्यायाधीश, मुजफफनगर के द्वारा पत्र प्रपत्र सं० 20ग2 द्वारा अवगत कराया गया कि एफ०डी०आर० सं० 372000 डी.पी.00019738 दिनांकित 30.05.2014 मय ब्याज के वाणिज्यिक न्यायालय, मेरठ के खाता सं० 696501700828 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, शाखा वेस्ट एण्ड रोड, गुरू तेग बहादुर स्कूल, मेरठ कैन्ट, मेरठ में अन्तरित कर दिये गये हैं।

उपर्युक्त वर्णित न्यायालय के खाता से सम्बन्धित बैंक से, बैंक स्टेटमेन्ट आहूत किया गया जो कि पत्रावली पर प्रपत्र सं० 26ग2 उपलब्ध है जिसके अनुसार सम्बन्धित बैंक को दिनांक 27.04.2026 को अंकन 34,54,049/– रूपया आर०टी० जी०एस० के जरिये प्राप्त होना उल्लिखित है।

आवेदक द्वारा स्वयं के खाते से सम्बन्धित निरस्त चेक की छाया प्रति प्रपत्र सं० 25ग प्रस्तुत किया गया जो कि पंजाब नेशनल बैंक, कोर्ट रोड, मुजफफरनगर (उ०प्र०)–251001 आई०एफ०सी० कोड नं० PUNB0182100 खाता सं० 1821000116864831 अंकित है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आलोक में डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

डिक्रीदार श्रीमती पुष्पलता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22ग स्वीकार किया जाता है।

डिक्रीदार को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित अंकन 34,54,049/– (चौंतीस लाख चौवन हजार उनचास रूपये) की धनराशि उसके पक्ष में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रतिभू तथा अंडरटेकिगं व इन्डिमिटी बाण्ड इस आशय का प्रस्तुत करे कि यदि माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित होने की दशा में वह भुगतान की गयी समस्त धनराशि मय बैंक ब्याज के साथ न्यायालय में निक्षिप्त करना सुनिश्चित करेगीं।

तदोपरान्त वाणिज्यिक न्यायालय कक्ष सं० 02, मेरठ के खाता सं० 696501700828 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखा वेस्ट एण्ड रोड, गुरू तेग बहादुर स्कूल, मेरठ कैन्ट मेरठ IFSC कोड सं० ICIC0006965 में उक्त प्रकरण में जमा धनराशि अंकन 34,54,049/– रूपये डिक्रीदार श्रीमती पुष्पलता के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, कोर्ट रोड, मुजफफरनगर (उ०प्र०)–251001 आई०एफ०सी० कोड नं० PUNB0182100

खाता सं० 1821000116864831 में जरिये आर०टी०जी०एस के माध्यम से अवमुक्त की जाये।

इस आदेश की प्रविष्टि सम्बन्धित रजिस्टर में की जाये।

उक्त आदेश की एक प्रति आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखा वेस्ट एण्ड रोड, गुरू तेग बहादुर स्कूल, मेरठ कैन्ट मेरठ अनुपालनार्थ को प्रेषित हो।

सम्बन्धित बैंक कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराये।

पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक 29.06.2026 को पेश हो।

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं० 2,मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी०–5988
दिं० **29.05.2026**

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2026.06.05 13:42:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court